राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प. 23(60)गृह–5/2012 जयपुर दिनांकः– 18.08.2022

परिपत्र

विषयः–आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान पत्रावलियों के स्थानान्तरण व अनुसंधान अधिकारी बदलने के संबंध में नीति।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र समसंख्यक दिनांक 06.01.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. परिपत्र के बिन्दु संख्या–4 को निम्नानुसार **प्रतिस्थापित** किया जाता हैः–

   "किसी प्रकरण सक्षम स्तर से अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन कुल मिलाकर तीन बार से अधिक नहीं किया जा सकेगा, जिसमें प्रथम अनुसंधान अधिकारी की गणना सम्मिलित नहीं की जायेगी। इस प्रकार प्रथम अनुसंधान अधिकारी के अलावा तीन बार अनुसंधान अधिकारी परिवर्तित किये जा सकेंगे। किसी अन्वेषण अधिकारी के स्थानान्तरण या लम्बे अवकाश पर होने की वजह से या सेवानिवृत्ति या अन्य कारण से अनुसंधान अधिकारी का पद रिक्त होने पर, यदि अन्वेषण पत्रावली अन्य अनुसंधान अधिकारी को स्थानान्तरित की जाती है, तो उक्त परिवर्तन को गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।"

2. उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 के पश्चात् **बिन्दु संख्या 8** निम्नानुसार जोड़ा जाता है–

   "8. सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार के आदेश पारित करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 एवं अन्य विधि में निर्धारित अनुसंधान अवधि में अनुसंधान पूर्ण हो।"

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया आपके अधीनस्थ सभी पुलिस अधिकारियों को उक्त नीति की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाने का श्रम करावें।
5. शासन सचिव (I&II), गृह विभाग/शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग, राजस्थान सरकार।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध/एटीएस एण्ड एसओजी/सिविल राईट्स, राजस्थान।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त परिपत्र गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner